आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश एम. जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 135/इंदौर/2025 तथा 140/इंदौर/2025
निर्धारण वर्ष : 2017-18 तथा 2013-14

एस.गांधी ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड, c/o हितेश चिमनानी, यूजी-37 ट्रेड सेंटर 18 साऊथ तुकोगंज, इंदौर	बनाम	उप/सहायक आयकर आयुक्त 4(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएएमसीएस 1613 जी PAN- AAMCS1613G		

अपीलार्थी की ओर से	श्री यश कुकरेजा, सीए
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	12.02.2026
उद्घोषणा तिथि	19.02.2026

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा 2013-14 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली इंदौर के अलग-अलग आदेशों दोनो दिनांक 03.06.2024 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि एनएफएसी के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अधीन स्वतंत्र आदेशों दोनो दिनांक 29.03.2022 से उद्भूत है ।

2. इन अपीलों के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आवेदनों के माध्यम से निवेदन किया गया है कि इन प्रकरणों में लिए गए किसी भी आधारों पर

दबाव नहीं डाला जा रहा है और अतः इन अपीलों को निष्फल (otiose) माना जाए । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती इन अपीलों का अनुसरण नहीं करना चाहता तथा इन्हे वापिस लेना चाहता है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपीलों वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 19.02.2026 को खुले न्यायालय में उद्घोषित ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(परेश एम.जोशी)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 19.02.2026

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल